भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या :1417

दिनांक 15 दिसम्बर, 2022/24 अग्रहायण,1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान किराया

1417. श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:
श्री थोमस चाजिकाडन:
श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:
श्री सुदर्शन भगत:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(**क**) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विमान कंपनियां विशेषरूप से त्योहार के मौसम के दौरान विमान टिकटों के लिए अत्यधिक दरें वसूल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(**ख**) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(**ग**) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(**घ**) क्या सरकार का भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की तर्ज पर एक विनियामक प्राधिकरण गठित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(**ङ**) क्या विमान कंपनियों पर कई गुणा भारी कर प्रभारित किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(**च**) क्या सरकार का विमान किराए को युक्तिसंगत बनाने के लिए कोई कार्रवाई करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (ग) तक: वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 के उप नियम (1) के प्रावधान के तहत, अनुसूचित हवाई सेवाओं से जुड़े प्रत्येक हवाई परिवहन उपक्रम द्वारा प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषताओं, युक्ति-युक्त लाभ और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। एयरलाइनें उपर्युक्त नियम के अनुपालन के अध्यधीन, अपनी प्रचालन व्यवहार्यता के अनुसार, औचित्यपूर्ण हवाई किराया वसूल सकती हैं।

एयरलाइनों की मूल्य निर्धारण प्रणाली कई स्तरों [बकेट या आरबीडी (रिज़र्वेशन बुकिंग डेज़िगनेटर्स)] पर काम करती है जो कि वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही परिपाटी की तर्ज पर है। एयरलाइनों द्वारा कीमतों का निर्धारण बाजार, मांग, पर्यटन अवधि और अन्य बाजार कारकों के मद्देनजर किया जाता है। एयरलाइनों द्वारा कम किराए के बकेट की बिक्री कर दिए जाने के बाद, हवाई किराया बढ़ जाता है। कुछ एयरलाइनों ने 60 दिन,

30 दिन, 14 दिन आदि की मौजूदा अग्रिम खरीद योजना के अलावा एपेक्स-90 योजना शुरू की है, जिसमें अत्यधिक रियायती किरायों की पेशकश की जा रही है, जिससे व्यस्ततम अवधि के दौरान भी कम किराए पर यात्रा करना संभव है। उपर्युक्त किराया संरचनाएं, एयरलाइनों द्वारा अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जाती हैं।

मार्च 1994 में, वायु निगम अधिनियम को निरस्त किए जाने से, टैरिफ निर्धारण को नियंत्रण-मुक्त कर दिया गया है और एयरलाइनें, वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत युक्ति-युक्त किराए का निर्धारण कर सकती हैं। एयरलाइनों द्वारा किरायों का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रचालन लागत, माँग, पर्यटन अवधि, स्थायित्व आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। नागर विमानन मंत्रालय/नागर विमानन महानिदेशालय में, समय-समय पर, एयरलाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। एयरलाइनों द्वारा, यातायात ऑकड़ों के अपने मासिक प्रस्तुतीकरण के एक भाग के रूप में, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को दी गई जानकारी के अनुसार, अगस्त से अक्टूबर, 2022 के दौरान विमान किराये से संबंधित 22 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

शिकायतों का निवारण, मामले में निर्धारित तंत्र/मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों को शिकायतें दर्ज करने और भारत में हवाई यात्रा पर जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एयर-सेवा एप्लीकेशन-एक डिजिटल प्लेटफार्म की शुरुआत की है। यात्रीगण शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए, एयर-सेवा एप्लीकेशन पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

(घ): जी नहीं।

(ङ): एयरलाइनें, राजस्व तथा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) जैसी अन्य लागत वस्तुओं पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान कर रही हैं, जो कि सबसे बड़ी एकल लागत है और जिस पर वैट/बिक्री कर भी लगता है। भारत में अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एटीएफ पर वैट/बिक्री कर अलग-अलग होता है। इसके अलावा, एयरलाइनें आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर का भुगतान करती हैं।

(च): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की एक टैरिफ निगरानी इकाई है, जो मासिक आधार पर, कतिपय मार्गों के संबंध में किराए की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से ऊपर किराया न वसूलें। एयरलाइनों द्वारा लिया जाने वाला किराया जब तक उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किराए के अनुरूप होता है तब तक यह समझा जाता है कि एयरलाइनें, वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 के उप नियम (2) की अनुपालना कर रही हैं।

****